न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 17/373

1. रामचरण पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी शंकरपुरा ।
2. बाबू पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी शंकरपुरा ।
3. जगदीश पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी शंकरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. रामकुंवार पुत्र गणेश जाति बैरवा निवासी रामखेडा ।
2. लड्डू पुत्र गणेश जाति बैरवा निवासी रामखेडा ।
3. कस्तूरी बाई पुत्री गणेश जाति बैरवा निवासी रामखेडा ।
4. नट्टी बाई पुत्री गणेश जाति बैरवा निवासी रामखेडा ।
5. पुष्पाबाई पुत्री गणेश जाति बैरवा निवासी रामखेडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा ।
7. नायब तहसीलदार नायब तहसील खातौली जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री फिरोज आब्दी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 09.02.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत ग्राम लाखनी तहसील पीपल्दा जिला कोटा की आराजी कुल किता 03 रकबा 3.61 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजी अप्रार्थीगण के पिता स्व0 गणेश द्वारा आवंटन पश्चात् ही प्रार्थीगणों के पिता गोपाल पुत्र अमरा को 11 ब ीघा 13 बिस्वा एवं 10 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि को प्रार्थीगण के ताउ चंदा लाल पुत्र श्री अमरा बैरवा को विक्रय कर दी गई थी । उक्त भूमि गैर खातेदारी में थी जिसे अप्रार्थीगण के पिता के नाम खातेदारी में दर्ज करवाया गया । अप्रार्थीगण के पिता को बार–बार रजिस्ट्री कराने के लिए कहा परन्तु उन्होंने अनाकानी कर दी । अप्रार्थीगण के मन में बदनियति आ गई है और वह उक्त भूमि का अवैध अन्तरण करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रार्थी का प्रथमदृष्टया प्रकरण

के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी उनके पक्ष में ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी को मूल वाद के निस्तारण तक किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बेचान एवं अन्तरण नहीं करे तथा मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे तथा राजस्व रिकॉर्ड की ताफैसला वाद यथास्थिति कायम रखे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.05.2017 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.05.2017 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 07.07.2017 को हुई जिस पर उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट दिनांक 04.02.1983 से लगातार बाद क्रय काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में साक्ष्य एवं दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना ही तथा दस्तावेजात पर अपनी कोई फाइडिंग दिये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर कोई विस्तृत फाईडिंग दिये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पिता व ताउ चन्दा लाल ने रेस्पोडेन्ट के पिता गणेश लाल से क्रय की थी । उक्त बेचान के बाद वादग्रस्त आराजी से अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के समस्त स्वत्व अधिकार समाप्त हो गये थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.05.2017 निरस्त फरमाया जावे तथा रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करे और न ही अपीलान्ट के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत करे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब

जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना के अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा काश्त होना बताया है और गत 40 वर्षो से कब्जा होना कथन किया है । इस प्रकार अपीलान्ट का प्रथमदृष्टया प्रकरण उसके पक्ष में होना साबित है क्योंकि अपीलान्ट के कब्जे का खण्डन रेस्पोडेन्ट द्वारा नहीं किया गया है । उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा होने से यदि रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त भूमि को दौराने वाद रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण कर दिया तो अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का सुविधा का संतुलन भी अपीलान्ट के पक्ष में होना साबित है ।

11. प्रस्तुत प्रकरण में स्वत्व अधिकारों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण के समय होगा अभी अस्थायी निषेधाज्ञा की स्टेज पर हमे केवल इतना देखना है कि प्रथमदृष्टया प्रकरण किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना किसके पक्ष में हैं । चूँकि उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी में दर्ज है यदि दौराने वाद उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट द्वारा रहन, बेचान अथवा अन्य किसी प्रकार से अन्तरण कर दी तो अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी ऐसी स्थिति में हम रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.05.2017 निरस्त किया जाता है । अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान एवं अन्य किसी व्यक्ति को अन्तरण आदि नहीं करे तथा अपीलान्ट के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे । वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड की ताफैसला वाद यथास्थिति बनाये रखे ।

13. निर्णय आज दिनांक 09.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा